संख्या-179/2020/2916/22-2-2019-17(252)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 05 जून, 2020***

विषय:- जिला कारागार, बाराबंकी में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी रामलली पत्नी स्व0 सन्तशरण, निवासी-जिला-बाराबंकी की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-33451/प्रोबे0-5-दयायाचिका(बैठक-26.09.2019) दिनांक 15.11.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, बाराबंकी में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी रामलली पत्नी स्व0 सन्तशरण, जो-खनवा, थाना-कोठी, जनपद-बाराबंकी की रहने वाली है। महिला बंदी रामलली अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दहेज की मांग को लेकर अपनी बहू श्रीमती संतोष कुमारी का उत्पीड़न किया करती थी, जिसके कारण दिनांक 08.04.1988 को श्रीमती संतोष कुमारी ने फांसी लगाकर आत्म हत्या कर ली। उक्त अपराध हेतु महिला बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-290/1988 में भा0द0वि0 की धारा-304बी, 498ए, के अन्तर्गत मा0 न्यायाधीश, बाराबंकी के आदेश दिनांक 05.02.1992 द्वारा 07 वर्ष के कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.07.2015 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 25.04.2016 द्वारा यथावत रखा गया है। महिला बन्दी द्वारा दिनांक 30.10.2018 तक 02 वर्ष 05 माह 25 दिन की अपरिहार सजा तथा 03 वर्ष 00 माह 19 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की गयी है किन्तु दयायाचिका समिति द्वारा महिला बन्दी की काटी गयी सजा एवं कारित अपराध की प्रकृति के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की **संस्तुति नहीं** की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि महिला बन्दी रामलली (बंदी संख्या-106/2016) पत्नी स्व0 सन्तशरण, निवासी-जिला-बाराबंकी की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

संख्या-179/2020/2916(1)/22-2-2019 तद्दिनांक--

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बाराबंकी।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, बाराबंकी।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in